कार्य अध्ययन प्रकोष्ठ के कार्य

संगठनः-

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के पास सदस्य (कार्मिक) के नेतृत्व में पूर्णतया मानव शक्ति योजना निदेशालय कार्यरत है। सदस्य कार्मिक की कार्यपालक निदेशक, संयुक्त निदेशकों तथा निदेशकों द्वारा सहायता की जाती है। भारतीय रेलों पर मानव शक्ति प्रबंधन के लिए सभी प्रकार के नीतिगत निर्णय किये जाते हैं।

जोनल रेलवे मुख्यालय पर मानव शक्ति प्रबंधन संबंधी नीतियों को वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक कार्यान्वित करते हैं। वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक की सहायक कार्य अध्ययन द्वारा सहायता की जाती है। कार्य अध्ययन प्रकोष्ठ द्वारा कार्य अध्ययन संबंधी कार्य किये जाते हैं और न्यूनतम मजदूरी के उपाय सुझाये जाते हैं, कार्य कुशलता को सुधारने तथा प्रभावी अर्थव्यवस्था के कदम उठाने के सुझाव दिये जाते हैं।

प्रयोजनः- बदलती हुई प्रोगिकि के संबंध में वित्त को हासिल करके उत्पादकता बढाने के लिए रेलों द्वारा किये गये प्रभावशाली प्रयत्नों पर इस समीक्षा का केंद्र बिंदु होता है।

अधिशेष कर्मचारियों का समय से पता लगाना और उन्हें उपयोगी जगह तैनात करनाः-

भारतीय रेलवे तंत्र पर परिवर्तित होती हुई प्रमुख प्रोद्योगिकि को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक गतिविधियों तथा अधिशेष हुए कर्मचारियों को पुनः तैनात करना, जैसी गतिविधियों का पता लगाना अनिवार्य हो गया है। प्रत्येक जोनल रेल पर कार्य अध्ययन टीमें समय-समय पर ऐसी गतिविधियों का पता लगाने के लिए

अध्ययन करती है और मानव शक्ति को बचाने के लिए दक्षता पूर्वक कार्य पद्धति का सुझाव देती है।

प्रत्येक वर्ष फरवरी के माह में जोनल रेलों को रेलवे बोर्ड को अपना वार्षिक कार्य अध्ययन कार्यक्रम अनुमोदन के लिए भेजना अपेक्षित होता है। बोर्ड द्वारा कार्य अध्ययन के अनुमोदन के अलावा जोनल रेलों के महाप्रबंधक/वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक कुछ कार्य अध्ययनों का अनुमोदन भी करते हैं जिन्हें क्रेश अध्ययन के नाम से जाना जाता है।

जैसे ही कार्य अध्ययन टीम कार्य अध्ययन के कार्य को पूरा करती है तो इसकी अनुशंसा की रिपोर्ट तैयार की जाती है और अनुमोदन के लिए वरिष्ठ उप महाप्रबंधक को प्रस्तुत की जाती है। अनुमोदन प्राप्त होने पर इस रिपोर्ट की एक प्रति अनुशंसाओं की स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग को भेजी जाती है। इसके साथ ही इस अध्ययन की रिपोर्ट की एक प्रति इसके कार्यान्व्यन के लिए मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेजी जाती है। और एक प्रति सूचनार्थ रेलवे बोर्ड को भी भेजी जाती है। कार्य अध्ययन प्रकोष्ठ के निर्णयों को तीन महीनें की अवधि में कार्यान्वित की जाए और पता लगाये गये अधिशेष पदों को अभ्यर्पित कर दिया जाए/पुनः तैनाती की जाए। स्वीकार की गई अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय योजना प्रकोष्ठ द्वारा अनुवर्ति कार्रवाई की जाती है। और इस संबंध में हुई प्रगति को हर तिमाही में रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है।